

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / स्थाईकरण / 488-27029 / जो.जयपुर / 2024 / 208

दिनांक:-2/4/24

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1965 के नियम 31 एवं 31 ए में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये पर राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि से स्थाई किया जाता है -

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि
1.	ललिता माथुर	दौसा	21.06.1964	11.09.1990

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / स्थाईकरण / 488-27029 / जो.जयपुर / 2024 / 208
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक:-2/4/24

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वैलफेयर विभाग राज. जयपुर ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।
3. ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी लालसोट, दौसा ।
4. डी.पी.सी (अराजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय ।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. आदेश / निजी पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6208034

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :28-03-2024 02:26:49